रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2406] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2017/भाद्र 1, 1939
No. 2406] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017/BHADRA 1, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

सं० 23/2015–2020

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 3 के पैरा 3.24 (ञ) में संशोधन।

का० आ० 2749(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:–

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय–3 का मौजूदा पैरा 3.24 (ञ):

"स्तर–धारक निर्यात संवर्धन के लिए दस लाख रुपए की वार्षिक सीमा अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2 प्रतिशत, जो भी कम हो, की शर्त के अधीन निःशुल्क लागत के आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे।"

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 3 का संशोधित पैरा 3.24 (ञ):

"स्तरधारक एक करोड़ रु० की वार्षिक सीमा या गत तीन लाइसेन्सिंग वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात प्राप्ति के 2%, जो भी कम हो, की शर्त के अधीन निर्यात संवर्धन हेतु मुक्त रुप से निर्यात की जाने वाली मदों (रत्न एवं आभूषण, सोने की वस्तुओं और कीमती धातुओं को छोड़कर) का निःशुल्क लागत आधार पर निर्यात करने के लिए हकदार होंगे। भेषज कम्पनियों द्वारा भेषज उत्पादों के निर्यात के लिए वार्षिक सीमा गत तीन लाइसेन्सिंग वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात प्राप्ति का 2% होगी। अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूएन और डब्ल्यूएचओ–पीएएचओ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए भेषज उत्पादों, टीकों और जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति के मामले में वार्षिक सीमा गत तीन लाइसेन्सिंग वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात प्राप्ति के 8% तक होगी। ऐसी निःशुल्क आपूर्तियां किसी निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत शुल्क वापसी या किसी अन्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए हकदार नहीं होंगी।"

इस अधिसूचना का प्रभाव: स्तर धारकों द्वारा निःशुल्क लागत आधार पर मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली मदों का निर्यात करने की हकदारी संशोधित कर दी गई है।

[फा. सं. 01/61/180/59/एएम–16/पीसी–3]
आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2017

No: 23 /2015-2020

Subject: Amendment in Para 3.24 (j) of Chapter-3 of FTP 2015-2020.

S.O. 2749(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy 2015-2020 with immediate effect:

Existing Para 3.24 (j) of Chapter-3 of FTP 2015-2020:

"Status holders shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rs. 10 lakh or 2% of average annual export realisation during preceding three licensing years, whichever is lower".

Amended Para 3.24 (j) of Chapter-3 of FTP 2015-2020:

"Status holders shall be entitled to export freely exportable items (excluding Gems and Jewellery, Articles of Gold and precious metals) on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rupees One Crore or 2% of average annual export realization during preceding three licensing years, whichever is lower. For export of pharma products by pharmaceutical companies, the annual limit would be 2% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. In case of supplies of pharmaceutical products, vaccines and lifesaving drugs to health programmes of international agencies such as UN, WHO-PAHO and Government health programmes, the annual limit shall be upto 8% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. Such free of cost supplies shall not be entitled to Duty Drawback or any other export incentive under any export promotion scheme."

Effect of this Notification: Entitlement to export freely exportable items on free of cost basis by Status Holders has been revised.

[F. No. 01/61/180/59/AM16/PC3]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.24 19:07:58 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.